मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक /173/सी0सी0/2021/38 भोपाल, दिनांक

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
सतपुडा भवन,
भोपाल।

विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत अन्तर्संकायी अध्ययन व्यवस्था के संबंध में।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के परिप्रेक्ष्य में संभाग स्तर पर संचालित एकल संकायी विज्ञान महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की अन्तर्संकायी अध्ययन - व्यवस्था निम्नानुसार की जाती है :-

1. यदि कला/वाणिज्य संकाय के किसी विषय को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है तो विज्ञान महाविद्यालय के विद्यार्थी निकटस्थ शासकीय कला/वाणिज्य संकाय वाले महाविद्यालय अध्ययन करने जा सकते हैं, जिसके लिए समय-सारणी में दोनों महाविद्यालयों द्वारा समन्वय के साथ व्यवस्था की जा सकती है।
2. यदि कला/वाणिज्य संकाय के किसी विषय को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो निकटस्थ कला/वाणिज्य संकाय वाले शासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय के शिक्षक विज्ञान महाविद्यालय में जाकर अध्यापन कार्य कर सकते हैं, जिसे उनके वर्कलोड में शामिल माना जायेगा।
3. इस हेतु संबंधित अतिरिक्त संचालक समन्वयक की भूमिका में रहेंगे एवं वे इन महाविद्यालयों के मध्य आपसी सहमति तैयार करेंगे। आवश्यकतानुसार महाविद्यालयों के मध्य संसाधनों की साझेदारी के उददेश्य से एमओयू भी हस्ताक्षरित किया जा सकता है, जिसमें संबंधित अतिरिक्त संचालक एवं संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव भी उपस्थित रहे। इस प्रकार महाविद्यालयों के मध्य क्लस्टर का निर्माण होगा। इस पूरी व्यवस्था के संचालन के लिये जिन गतिविधियों एवं शर्तों की आवश्यकता होगी उसका उल्लेख एमओयू में किया जा सकता है, परन्तु किसी भी प्रकार की वित्तीय आलिप्ति इस व्यवस्था में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

2021

4. उक्त व्यवस्था प्रथमत: पायलट तौर पर केवल संभाग स्तर पर संचालित विज्ञान महाविद्यालय एवं स्थानीय कला/वाणिज्य संकाय वाले शासकीय महाविद्यालयों के मध्य संचालित किया जाना है ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही अल्प समय-सीमा में सुनिश्चित की जावे ।

/-

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

पृ.क्रमांक 02 /173/सी0सी0/2020/38 भोपाल, दिनांक 03.01.2022

प्रतिलिपि :-

1.निज सहायक, मा.मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।

2.निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।

3.कुलसचिव, समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

3.1.22

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय

2021